141

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

ए0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2166–तीन/14 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 19–8–2015 – पारित व्दारा तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ – प्रकरण क्रमांक 38अ–12/11–12

जगोले रैकवार पुत्र दुल्ले रैकवार
ग्राम बैरवार तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

असलमखॉ नट पुत्र गुलाव खॉ
ग्राम बैरवार तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)

आ दे श

(आज दिनॉक 9 –2–2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अ–12/11–12 में पारित आदेश दि0 30–7–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार जतारा को आवेदन देकर उसके स्वामित्व की ग्राम बैरवार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 915/4/1/2 रकबा 0.736 हैक्टर एंव 915/4/1/3 रकबा 0.073 हैक्टर के सीमांकन की प्रार्थना की। राजस्व निरीक्षक वृत्त जतारा ने दिनांक 25–6–12 को सीमांकन कर तहसीलदार जतारा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार जतारा ने प्रकरण क्रमांक 38/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–7–12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सीमांकन की गई भूमि के समीप ही आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 922/4 एंव 922/1 है जिस पर आवेदक वर्ष 1984 से निरन्तर खेती करता आ रहा है । आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई तथा सीमांकन में आवेदक के खेत की नप्ती अनावेदक को कर दी गई। इसी भूमि के सम्बन्ध में आवेदक ने अनावेदक के विरूद्व व्यवहार वाद भी दायर किया है एंव व्यवहार वाद के चलते न तो सीमांकन किया जा सकता है और न ही आवेदक के स्वामित्व की भूमि में दखलन्दाजी की जा सकती है इसलिये तहसीलदार का सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक व्दारा अपनी भूमि सीमांकन कराया है। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के पूर्व सभी मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर सीमांकन किया है जिसमें अनावेदक की भूमि 0.73 हैक्टर पर आवेदक ने अनाधिकृत कब्जा किया है जिस पर धारा 250 की बेदखली कार्यवाही हो चुकी है एंव सिविल जेल की भी कार्यवाही हुई है। व्यवहार न्यायालय से वाद खारिज हो चुका है। उन्होंने आवेदक व्दारा निगरानी धारा 250 के अंतर्गत सिविल जेल की कार्यवाही रूकवाने के लिये की है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि आवेदक ने अनावेदक के विरूद्व वादग्रस्त भूमि पर सिविल सूट नंबर 103 ए/ 16 दायर किया है किन्तु यह वाद आदेश दिनांक 15-9-16 से निरस्त हो चुका है। जहॉ तक ग्राम बैरवार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 915/4/1/2 रकबा 0.736 हैक्टर एंव 915/4/1/3 रकबा 0.073 हैक्टर के सीमांकन के पूर्व मेढ़िया कास्तकार होने से आवेदक को राजस्व निरीक्षक व्दारा सूचना न देने का प्रश्न है, आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में अंकित किया गया है उन्होंने तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी

जो उन्होंने नहीं मानी, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-7-12 के पैरा 4 से होती है। आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की है आवेदक व्दारा सीमांकन की सूचना न देना एंव सीमांकन एकपक्षीय करने का तथ्य इन्हीं कारणों से माने जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है आवेदक स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 38/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30-7-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर